न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट पाटा)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1/64/17 निर्णय दिनांक : 10.05.2018

उनवान

1. सूकी पुत्री छुटटन पत्नी हरिराम जाति मेघवाल निवासी नंगला चिरावडा तहसील रामगढ हाल निवासी बहादरपुर पटटी तहसील व जिला अलवर।

..............................वादनी

बनाम

1. निजामुदीन पुत्र प्रताप जाति मेव निवासी ग्राम पटा तहसील रामगढ जिला अलवर।
2. हरिसिंह पुत्र चरणसिंह जातियान गुर्जर निवासियान ग्राम नंगला चिरावडा तहसील रामगढ जिला अलवर।

.........................असल प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 431 रकबा 0.43, 450 रकबा 0.47, 451 रकबा 0.12, 499 रकबा 1.27, 516 रकबा 1.35 हैक्ट0 किता 5 रकबा 3.64 हैक्ट0 वाके ग्राम नंगला चिरावडा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है, जो आराजी विवादित है। विवादित आराजी वादनी की 1/2 हिस्सा की खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादनी काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। जबकि असल प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। लेकिन प्रतिवादीगण बदमाश व लडाकू किस्म के शख्स है। जिन्होने वादनी के विरूद्ध एक नाजायज गिरोह बना रखा है तथा जबरन लटठ के बल पर वादनी की कब्जे काश्त की आराजी पर नाजायज रूप से अपना कब्जा जमाना चाहते है। तथा वादनी को जबरन बेदखल करना चाहते है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादनी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 431 रकबा 0.43, 450 रकबा 0.47 व 451 रकबा 0.12, 499 रकबा 1.27, 516 रकबा 1.35 हैक्ट0 कुल किता 5 रकबा 3.64 हैक्ट0 वाके ग्राम नंगला चिरावडा

तहसील रामगढ जिला अलवर में किसी प्रकार से अतिक्रमण व अतिचार ना करे, विवादित आराजी को ना जोते, मौके की शक्ल तब्दील न करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वादनी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत पाटा में दिनांक 10.05.2018 को पेश हुई। प्रतिवादीगण उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण को सुना गया।

राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत पाटा में दिनांक 10.05.2018 को पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। वादी विवादित आराजी के रिकोर्डेड खातेदार है। वाद वादनी स्वीकार किया उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 431 रकबा 0.43, 450 रकबा 0.47 व 451 रकबा 0.12, 499 रकबा 1.27, 516 रकबा 1.35 हैक्ट0 कुल किता 5 रकबा 3.64 हैक्ट0 वाके ग्राम नंगला चिरावडा तहसील रामगढ जिला अलवर की आराजी में एक दूसरे के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा नही करेंगे, किसी प्रकार का अतिक्रमण व निर्माण नही करेंगें। अपनी–अपनी आराजी पर काबिज रहेंगे। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत पाटा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट पाटा)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1 / 64 / 17

निर्णय दिनांक : 10.05.2018

उनवान

1. सूकी पुत्री छुटटन पत्नी हरिराम जाति मेघवाल निवासी नंगला चिरावडा तहसील रामगढ हाल निवासी बहादरपुर पटटी तहसील व जिला अलवर।

..............................वादनी

बनाम

1. निजामुदीन पुत्र प्रताप जाति मेव निवासी ग्राम पटा तहसील रामगढ जिला अलवर।
2. हरिसिंह पुत्र चरणसिंह जातियान गुर्जर निवासियान ग्राम नंगला चिरावडा तहसील रामगढ जिला अलवर।

.......................असल प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 431 रकबा 0.43, 450 रकबा 0.47 व 451 रकबा 0.12, 499 रकबा 1.27, 516 रकबा 1.35 हैक्ट0 कुल किता 5 रकबा 3.64 हैक्ट0 वाके ग्राम नंगला चिरावडा तहसील रामगढ जिला अलवर की आराजी में एक दूसरे के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा नही करेंगे, किसी प्रकार का अतिक्रमण व निर्माण नही करेंगें। अपनी–अपनी आराजी पर काबिज रहेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)